

V-190/CR-J.1(e)

1-6L-11-94

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

the court of.....  
Case No. 121/10

शिवानी शर्मा  
न्यायिक मजिस्ट्रेट थर्म भेनी

Complaint or report made on.....

Name and address of the Complainant. गोहद, जिला-भिण्ड

Name, parentage, caste and address of accused

राम गोविन्द सिंह ५० बटुरी सिंह लोमा  
R/o हीमका १५-गोहद चौबाला

The offence complaint of its alleged commission

आपने दिनांक 24-5-10 को समय 21/10 बजे स्थान गोहद चौबाला  
पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के 19.9.97  
जो म0प्र0 आवकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के  
संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

अपराध स्वीकारा है

राम गोविन्द सिंह

शिवानी शर्मा

न्यायिक मजिस्ट्रेट थर्म भेनी  
गोहद, जिला-भिण्ड

The Offence proved, if any and in case clause(d), clause(f) clause(g) or subsection (1) of section 263 or the value of the property in respect of which the offence has been committed.



(निर्णय)

(आज दिनांक 9-6-18 को घोषित)

1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा 34 भारतीय अपराध के आरोप हैं।
2. आरोपी/गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया/किए हैं।
3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गण को धारा 34 भारतीय के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण को 1100/- अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में 10 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।
4. प्रकरण में जल्दशुदा 19 अगस्त 2018 महीना बाद की

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ता 0 व दिनांकित कर घोषित किया गया।

गेरे निर्देश पर टाईप किया।

शिवानी शर्मा  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड

न्यायिक शिवानी शर्मा श्रेणी  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड